प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एच./एम. एण्ड ई./2019–20/16/19356-9 दिनांक 10-02-2020

विषयः– <u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2020 को आहूत वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।</u>

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 31 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला की तैयारियां, कोरोना वाइरस से बचाव हेतु किये जा रहे कार्य एवं प्रदेश में चिकित्सकों की नियुक्तियों से सम्बन्धित विषय पर वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी। बैठक में समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।</u>

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
11. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0 एण्ड ई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एच. / एम. एण्ड ई. / 2019–20 / 16 दिनांक 10-02-2020

विषयः– <u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2020 को आहूत वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।</u>

महोदय / महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 31 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला की तैयारियां, कोरोना वाइरस से बचाव हेतु किये जा रहे कार्य एवं प्रदेश में चिकित्सकों की नियुक्तियों से सम्बन्धित विषय पर वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी। बैठक में समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।</u>

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / 9356-9(11) तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
11. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0 एण्ड ई0

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 31 जनवरी 2020 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 31 जनवरी 2020 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद स्तरीय अन्य अधिकारियों एवं प्रबंधकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग बैठक के दौरान समस्त जनपदों से मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला की तैयारियो, कोरोना वाइरस से बचाव हेतु किये जा रहे कार्य एवं प्रेदश में चिकित्सकों की नियुक्ति सम्बन्धी चर्चा की गयी तथा निम्नवत् निर्देश दिये गये–

मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला–

1. दिनांक 02 फरवरी 2020 को प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाना है। उक्त कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के द्वारा जनपद चंदौली से किया जाना है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद–चंदौली को कार्यक्रम से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
2. मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला को सफल बनाने के लिये एवं अधिकाधिक प्रेदश वासियों को लाभ पहुचाने के उद्‌देश्य से सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तैयारिया पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा आयोजन में व्यय के लिये नियमानुसार आई0ई0सी0 के मद का प्रयोग किये जाने के निर्देशित किया गया ।
3. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला में सफलता प्राप्त करने के लिये समस्त प्रकार की सुविधाओं/संसाधनों का प्रयोग जैसे मानव संसाधन, वाहन, एम्बुलेंस, सुनिश्चित करें।
4. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में चिकित्सकों, स्टाफ नर्सो, पैरामेडिकल स्टाफ आदि सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा मौसमी बीमारियों जैसे–बुखार, डायरिया, मेलेरिया एवं दस्त आदि से सम्बन्धित दवाईयाँ और आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
5. निर्देशित किया गया है कि आयोजन से सम्बन्धित दो फोटोग्राफ जिसमें मरीज स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो को प्रत्येक आयोजन के समाप्ति के पश्चात शाम 6:00 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. मेडिकल कालेज के चिकित्सको को शहरी क्षेत्र के आरोग्य स्वास्थ्य मेले में सहयोग लेने के लिये निर्देशित किया गया तथा आरोग्य स्वास्थ्य मेले के आयोजन में स्थानीय प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उद्‌घाटन कराना सुनिश्चित करें।
7. निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले के आयोजन से सम्बन्धित सूचना प्रतिदिन ऑनलाईन प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के द्वारा सभी जनपदों को ऑनलाईन रिपोर्ट प्रेषित करने सम्बन्धी समस्या को दूर करने हेतु अधिकारियों श्री मनीष मिश्रा, सिस्टम मैनेजर, मोबाइल नम्बर–9450500471,

श्री नितिन मौर्या, प्रोग्रामर, मोबाइल नम्बर–9453137785 एवं श्री रॉबिन बॉस, प्रोग्रामर–9807340805 से सम्पर्क करने हेतु प्रेषित किया गया है।

कोरोना वाइरस

8. निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित जनपद में यदि कोई सम्भावित रोगी चिन्हित होता है, तो शीघ्रातिशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया जाये तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा इसकी सूचना राज्य स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. जनपद में चिन्हित रोगियों हेतु आइसोलेशन वार्ड बना लिया जाये तथा चिन्हित रोगी को पूर्ण रूप से आइसोलेट करके उपचार किया जाना सुनिश्चित करें। चिन्हित रोगी की आवश्यक जांच करवाते हुये पुष्टि हेतु सैम्पल पुणे की प्रयोगशाला में भेजने की कार्यवाही करें।
10. नेपाल सीमा से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग अवश्य करायी जाये। इसके लिये प्रत्येक चेक–पोस्ट पर एस0एस0बी0 के साथ चिकित्सक दल को नियुक्त किया जाये। साथ ही साथ चेक पोस्ट पर लाउड स्पीकर इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी की जाये।
11. निर्देशित किया गया है कि स्क्रीनिंग में सिम्प्टमेटिक पाये जाने वाले व्यक्तियों एवं वुहान (चीन) से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करना और सिम्प्टमेटिक पाये जाने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराना सुनिश्चित करें।
12. नेपाल सीमा के चेकपोस्ट पर भी एडवाइजरी लगायी जानी है। यदि कोई सम्भावित रोगी आता है तो उसे विशेष एम्बुलेंस के माध्यम से आइसोलेशन वार्ड वाले स्वास्थ्य इकाई पर सन्दर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
13. आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर एवं वाराणसी के एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्था करते हुये चीन से आने वाले यात्रियों की चिकित्सीय जांच कराने के निर्देश दिये गये।
14. सम्बन्धित जनपदों को निर्देशित किया गया कि होटलों एवं धर्मशालाओं में भी एडवाइजरी जारी करवा दी जाये तथा यदि होटलों एवं धर्मशालाओं में कोई यात्री बीमार पड़ता है तो तुरन्त मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित करने के निर्देश दे दिये जायें।
15. निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित जनपदों में पर्याप्त मात्रा में एन–95 मास्क, वी0टी0एम0 वॉयल, प्रोटेक्टिंग गाउन एवं ट्रिपल लेयर मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। सीमा क्षेत्र में झोला छाप चिकित्सकों पर नियंत्रण करने हेतु छापेमारी के लिये निर्देशित किया गया।
16. निर्देशित किया गया कि नेपाल सीमा के गांवों में स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में 31 जनवरी 2020 तक ग्राम पंचायत की बैठक कराना सुनिश्चित करें, जिसमें कोरोना वाइरस से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार किया जाये।
17. निर्देशित किया गया कि नेपाल से उत्तर प्रदेश में उपचार कराने के लिये आने वाले रोगियों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करें। साथ ही साथ निजी चिकित्सकों के साथ बैठक करते हुये निर्देशित करें कि संदिग्ध रोगियों की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाये।
18. निर्देशित किया गया कि ट्रैवल आपरेटर के साथ एक बैठक करके निर्देशित कर दिया जाये कि यदि कोई यात्री संदिग्ध पाया जाता है या तबीयत खराब होती है, तो इसकी सूचना तुरन्त मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया जाना सुनिश्चित करें।

19. सम्बन्धित जनपदों में आने वाले यात्रियों में से गत एक माह में चीन की यात्रा करने वाले यात्रियों से Self Decleration भरवाया जाना सुनिश्चित करें। माघ मेले में चीन या नेपाल से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करवा दें तथा मेले में प्रचार–प्रसार भी करवायें।
20. सम्बन्धित जनपदों में व्यक्तिगत साफ–सफाई (Personal Hygiene) हेतु भी प्रचार–प्रसार करवाया जाये तथा यह भी ध्यान रखा जाये कि Negative Message किसी भी दशा में प्रसारित न हो।
21. दिशा–निर्देशों के पश्चात भी सम्बन्धित जनपदों के द्वारा रिपोर्टिंग न करने पर रोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन सुबह 12:00 बजे तक रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करें।

<u>मानव संसाधन–</u>

22. प्रदेश में चिकित्सको की कमी के दृष्टिगत सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों से रिक्तियों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे परन्तु मुख्य चिकित्साधिकारियों के द्वारा सूचानाऐं प्रेषित नही किये जाने के कारण प्रमुख सचिव के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया की उक्त सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
23. निर्देशित किया गया है कि मात्र एम0एम0बी0एस0 चिकित्सको के पद के सापेक्ष ही रिक्तियों का विवरण दिया जाये। रिक्तियों में आयुष का आकलन नहीं किया जायेगा तथा यदि किसी चिकित्सक को दूसरे किसी चिकित्सालय में अटेच किया गया है तो उसे उसी स्थान पर प्रदर्शित करें। यदि एक महीने से अधिक कोई चिकित्सक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो तो उसका रिक्तियों में आकलन करें साथ ही यदि कोई चिकित्सक पी0जी0 कर रहा है तो उन्हें भी रिक्तियों में प्रदर्शित करें।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।